THE MINISTER OF STATE IN IHE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b): The Government have not received any representation of inconvenience on account of there being a common High Court for Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh. There is at present no proposal to bifurcate the High Court.

उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों का निपटारा

*52. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 1992 में हुई राजस्व मंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश के 75 प्रतिशत भूमि-विवादों का शीघ्र निपटारा करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1993 तक कितने प्रतिशत भूमि-विवादों का निपटारा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) राजस्व मंत्रियों के मार्च 1992 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी अधिकतम सीमा से फालतू भूमि में से 75% भूमि के मामलों का निपटान करके मुक्त कराया जाना चाहिए और इस प्रकार मुक्त कराई गई भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को तदनुसार कदम उठाने के लिये सलाह दी गई है।

(ख) मार्च 1993 तक निपटा दिये जाने वाले भूमि विवादों की प्रतिशतता विभिन्न न्यायालयों, जिनमें मुकदमें लंबित हैं, में अंतिम तौर पर निपटाए गए मामलों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(ग) केन्द्र सरकार अधिकतम सीमा से फालतू भूमि से संबंधित मुकदमेबाजी के मामलों को तेजी से निपटाने के लिये उचित प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने के लिये राज्यों को समय-समय पर परामर्श दे रही है। राज्यों को राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की सलाह दी गई है। जहां तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सम्बन्ध है, राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि न्यायपीठ गठित करने की सलाह दी गई थी। उन राज्यों, जो अलग भूमि न्यायपीठ स्थापित करना नहीं चाहते, को यह सलाह दी गई थी कि भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित मामलों को तेजी से निपटाने के लिये वे अपने-अपने उच्च न्यायालयों से विशेष न्यायपीठ बनाने अथवा अतिरिक्त न्यायपीठों की स्थापना करने के लिये कह सकते हैं।

Pak Firing on Indian Positions

*53. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pak troops resorted to unprovoked firing on Indian positions on the Line of Control in the border districts of Poonch and Rajouri in the last week of January this year;

(b) if so, the details of places where Pak troops resorted to firing;

(c) the details of casualties;

(d) whether any protest has since been lodged with Pakistan Government; and

(c) if so, the reaction of Pakistan thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) and (b) Yes, Sir. In Poonch district, the unprovoked firing was along the Line of Control in Poonch and Krishnaghati Sectors while in Rajouri district, it was along the Line of Control in Bhimbergali, Naushehra and Sunderbani Sectors.

(c) No casualities to our troops due to these firing incidents have been reported.

(d) and (e) With a view to reducing tension and preventing escalation, the Directors-General of Military Operation of India and Pakistan maintain weekly telephonic contact with each other. Meetings of sector commanders also take place, as and when required, with a view to resolving issues which are potential of causing tension.